दत्तक ग्रहण

(पारिवारिक देखभाल)

संरक्षक

श्रीमती अदिति मेहता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा.न्या.एवं.अधि. विभाग एवं
अध्यक्ष, राजस्थान राज्य चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

प्रेरक

श्री प्रवीण गुप्ता
आयुक्त एवं शासन सचिव,सा.न्या.एवं.अधि. विभाग एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

सैम्युल मवनर्गानड्ज
चीफ यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

मार्गदर्शन एवं परिकल्पना

श्रीमती सुलगना राय
शिक्षा एवं बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

श्री संजय कुमार निराला
बाल संरक्षण अधिकारी, यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

गिरिजा देवी
सी. फोर. डी. विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर

प्रस्तुति

विजय गोयल
महासचिव, रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर (आर.आइ.एच.आर.)

संदर्भ

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2000, भारतीय बच्चो के दत्तक ग्रहण, दिशा निर्देश-2011

प्रकाशक

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर (आर.आइ.एच.आर.)
932, किसान मार्ग, बरकत नगर, टोक रोड, जयपुर, www.rihrraj.org

प्रकाशन

2013, 5000 कापियां

डिजायन लेआउट एवं मुद्रक

कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

नोट: यह पुस्तिका विषय पर समझ बढ़ाने के लिए बनाई गई है जो समय-समय पर कानूनी बदलाव के साथ संशोधित की जायेगी। इस पुस्तिका में दी जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

अदिति मेहता
अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान सरकार
जी-3/1, अम्बेडकर भवन,
राजमहल रेंजीडेंसी ऐरिया के पीछे
जयपुर (राजस्थान)
www.sje.rajasthan.gov.in

संदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण के लिए किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी बच्चे अपने अधिकारों पूर्ण रूप से को प्राप्त करने में संघर्षरत है।

बच्चों की आवश्यकता अनूरूप प्राथमिता के आधार पर प्रभावी पहल करने हेतु राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई है, इसके अलावा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत सी.डब्ल्यू.सी, जे.जे.बी, एस.जे.पी.यू. तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का गठन किया गया है। इन इकाई में कार्यरत अधिकारियों एवं आमजन के लिए सरल भाषा में बाल संरक्षण पर समझ का अभाव होने के कारण बच्चों के अधिकारों व उनके संरक्षण के लिए आवश्यक पहल नहीं हो पाती है।

इस क्रम में विभाग व यूनिसेफ के सहयोग से आर.आइ.एच.आर. द्वारा बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को सरलीकरण कर छः पुस्तिकाओं के रूप में संकलित करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तिकाएं बाल संरक्षण से जुडे विषयों पर समझ बनाने एवं आमजन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में सार्थक सिद्ध होगी तथा सम्बन्धित घटकों, क्रियान्वित अधिकारियों एवं आमजन को सहायता मिलेगी।

धन्यवाद

अदिति मेहता

Samuel Mawunganidze
State Chief

UNICEF
Field Office for Rajasthan
B-9, Bhawani Singh Lane
C-Scheme, Jaipur 302 001
Rajasthan, India

MESSAGE

In the last decade, Rajasthan has witnessed a significant progress in improving its state Social Developmental Indicators and demonstrated great potential for guaranteeing quality service delivery to its citizens, particularly with the passing of Public Service Guarantee Act (2012). Rajasthan Government continues to demonstrate proactiveness and sensitivity towards the care and protection of the children in the state. Through effective implementation of Juvenile Justice (care and protection) of Children Act 2000 (JJ Act) and Integrated Child Protection Scheme (ICPS) state has done admirable work in the area of Child Protection it has been establishing various child protection structures like Rajasthan State Child Protection Society (RSCPS), State Adoption Resource Agency (SARA), District Child Protection Unit (DCPU), Child Welfare Committee (CWC), Juvenile Justice Board (JJB), Special Juvenile Police Unit (SJPU) Block and Panchayat Level Child Protection Committee (BLCPC and PLCPC). It has also been issuing various order, guidelines, Standard Operating Procedures (SOPs) related to vulnerable children, protection system and mechanism.

I would like to acknowledge and appreciate the supportive leadership of Mrs. Aditi Mehata, Additional Chief Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, Government of Rajasthan, Mr. Praveen Gupta, Commissioner, Department of Social Justice and Empowerment and his team working on implementation of Juvenile Justice Act and Integrated Child Protection Scheme. This has created a strong protective environment for children in need of care and protection through creating awareness and strengthening of various Child Protection structures existing in the state through such user friendly publication.

I strongly believe that simplified version these material will be effective's means to enhance the understanding and skill of various stakeholder who are dealing with Children in Need of Care and Protection (CNCP) and Children in Conflict with Law (CCL) in ensuring the best interest and rights of the child in the state.

I am sure with effective implementation of these standards, Rajasthan will not only improve the efficiency and effectiveness of Child Protection related services delivery system and mechanism, but will make significant contribution in enhancing people's confidence in child protection related service and ultimately improved children rights related indicators in state.

With best wishes

Samuel Mawunganidze

दत्तक ग्रहण (पारिवारिक देखभाल)

प्रस्तावना

हमारे देश में हर साल करीबन दो करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सभी बच्चों का भाग्य जुदा-जुदा होता है। कुछ बच्चे अपने घर पर माता-पिता की छत्र-छाया में अपना बचपन संवारते हैं, तो कुछ को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

प्रत्येक समाज में ऐसे दम्पत्ति जो एक बच्चे की चाहत रखते हैं, इन बच्चों को गोद लेकर अपनी सूनी बगिया में हंसता-खेलता एक फूल खिला सकते हैं। इन बच्चों को अपनाकर वे अपने घर में तो खुशियां लाते ही हैं, साथ ही उस अभागे अनाथ बच्चे को परिवार व माता-पिता के गहन प्रेम की छाया और बेहतर जीवन जीने के अवसर भी प्रदान करते हैं। आज यदि दम्पत्ति किसी बच्चे के आंसू पोंछ कर उसे गोद लेते हैं तो कल वही बच्चा माता-पिता की मुस्कान बन उनकी खुशियों व खुशहाली का कारण बनता है। जब बच्चा अपने परिवार में जाता है तो वहां भावनात्मक सुरक्षा व प्रेम पाकर उसके व्यवहार में सुखदायी परिवर्तन आता है। इससे उसके विकास की संभावनाएं बलवती होने लगती हैं। गोद लिये गये बच्चे बड़े होकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाते हैं। वे सक्षम होकर माता-पिता की वृद्धावस्था में सेवा करते हैं। परंपरा से ही हमारा समाज पुत्र को गोद लेने को वरीयता देता आया है, लेकिन अब पुरानी मान्यताएं समाप्त होती जा रही हैं। कानून के द्वारा अब पुत्री को भी उत्तराधिकार प्राप्त हो गया है। समाज में अब एक नई धारा बह चली है और आज अधिकतर लोग पुत्र के स्थान पर पुत्री को गोद लेना पसंद करते हैं।

हमारे यहां कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें इस काम के लिए चिह्नित किया गया है। इन संस्थाओं की मदद से बेसहारा बच्चों को उनका आश्रय मिल जाता है। एक परिवार को इस प्रकार के शिशु को सौंपा जाना ही गोद दिया जाना या दत्तक ग्रहण करना कहलाता है। कैसे बिन बच्चे की मां को बच्चा मिल सकता है। बच्चे को गोद लिए जाने सम्बन्धी जानकारी इस प्रकार है - कैसे प्राप्त करें बच्चा -गोद के लिए।

दत्तक ग्रहण

भारत के अन्दर अनाथ/समर्पित/परित्यक्त शिशु/बच्चे जिनके जन्मदाता माता-पिता द्वारा देखभाल नहीं की जा सकती है, उन्हें स्थायी वैकल्पिक परिवार प्रदान करना ही दत्तक ग्रहण कहलाता है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2011 के अंतर्गत ही स्वदेशीय दत्तक ग्रहण एवं अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। संपूर्ण देश में 0-18 वर्ष के अनाथ/समर्पित/परित्यक्त बच्चों का दत्तक ग्रहण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41 की उपधारा (3) के तहत भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

भारत से बच्चों के दत्तक ग्रहण का निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत है

- बच्चे का सर्वोत्तम हित किसी भी नियोजन का निर्णय लेते समय प्रमुख महत्त्व का होगा;
- देश के भीतर दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता दी जाएगी;
- बच्चों का दत्तक ग्रहण एक निश्चित प्रक्रिया विधि और समयबद्ध रूप से होगा;
- दत्तक ग्रहण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का वित्तीय या अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं करेगा।
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (सारा)
- राष्ट्रीय स्तर पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2011 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (सारा) के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशीय दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देना, अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण का विनिमयन व राज्य स्तर पर प्रवर्तकता, पालन-पोषण, देख-रेख, दत्तक ग्रहण के लिए परिवार आधारित गैर संस्थागत कार्यक्रम के प्रोत्साहन, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिये एजेंसी को आवश्यक सहयोग करना है। राज्य सरकार द्वारा योजना में समाहित दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना की गई है।

विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी (Specialized Adoption Agency (SAA)

अनाथ/समर्पित/परित्यक्त शिशुओं/बच्चों के पालन-पोषण, चिकित्सा, देखभाल व दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार में पुनर्स्थापना के उद्देश्य से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41(4) में राजकीय/स्वैच्छिक संस्थाओं को विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी की स्थापना/मान्यता का प्रावधान किया गया है, जहाँ इन शिशुओं/बच्चों को रखने, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं मनोरंजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इन संस्थाओं में आने वाले शिशुओं/बच्चों को अधिनियम के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण हेतु कारा, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से योग्य परिवार में पुनर्स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भारत के अन्दर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 32 जिलों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी स्थापित की है।

दत्तक ग्रहण कार्यक्रम

- जब भी पुलिस को किसी अनाथ/समर्पित/परित्यक्त शिशुओं/बच्चे की सूचना मिलती है, वह तुरंत उसे अपने अधिकार में लेती है। सबसे पहले उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है। चिकित्सा सहायता प्रदान करने के बाद उसे मान्यता प्राप्त किसी उपयुक्त स्थान (शिशु गृह) पर रखा जाता है।
- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी बच्चे को अपने गृह में अस्थाई आधार पर दाखिल करेगी और इस दाखिल को बाल कल्याण समिति द्वारा अधिकृत करने के बाद ही अन्तिम

रूप दिया जायेगा एवं सभी बच्चों का विवरण मास्टर कार्यालय में दर्ज किया जायेगा। बच्चे की तस्वीर ली जाएगी और यदि बच्चा निराश्रित/परित्यक्त है तो बच्चे की तस्वीर के साथ निकटतम पुलिस थाने में बच्चा प्राप्त होने के 24 घन्टों के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

- 24 घंटे के भीतर बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाता है।
- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी यह घोषणा करता है कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय व एक क्षेत्रीय भाषा के अखबार में सूचना प्रकाशित की जाए। इससे यदि उसका कोई दावेदार है तो सामने आए। यदि अधिसूचित किये जाने के अधिकतम 60 दिनों की अवधि में कोई दावेदार नहीं आता है तो उसे गोद दिए जाने के योग्य माना जाता है।
- बड़े बच्चों के लिये यह अवधि 4 माह होती है। उनके लिए टेलीविजन या रेडियो पर भी उद्घोषणा करने के साथ गुमशुदा व्यक्ति तलाश दल या ब्यूरो को भी सूचित किया जाता है।
- बाल कल्याण समिति अपनी जांच पूरी करने के बाद बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित कर देती है। अधिनियम की धारा 41 की उपधारा 5 (क) के अन्तर्गत समिति के दो सदस्य लिखित आदेश से यह घोषणा कर सकते हैं।
- यदि बच्चा सात वर्ष से बड़ा व समझदार है तो उसकी सहमति भी ली जायेगी। इसके बाद बच्चा दत्तक ग्रहण की पात्रता प्राप्त कर लेता है।
- समर्पित बच्चे जिनमें असहमति से बने संबंधों से जन्मा बच्चा या विवाहेत्तर संबंध से जन्मा बच्चा। ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो व दूसरा पालने में असमर्थ हो या जिसके माता-पिता उसके त्याग के लिए मजबूर हों। समिति के समझाइश के प्रयास करने के बाद भी जब यह तय हो जाये कि माता-पिता बच्चे को अपने पास रखने को इच्छुक नहीं हैं तब उसे संस्था की देख-रेख में रखकर उसके प्रायोजकों की व्यवस्था की जाती है। अभ्यर्पण के बाद दो माह तक बालक के माता-पिता को पुनः विचार के लिए समय दिया जाता है। माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण दस्तावेज समिति के समक्ष निष्पादित किया जाता है। समिति अपनी जांच के बाद दत्तक ग्रहण के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिर से विचार के लिए दो माह के समय के पश्चात बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करती है।

दत्तक ग्रहण की पात्रता

भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में दिये जाने की निम्नानुसार अनुमति दी जा सकती है-

- एक व्यक्ति को चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो या
- माता-पिता को उसी लिंग का बच्चा दत्तक ग्रहण करने के लिए चाहे उसके कितने ही जीवित जैविक पुत्र या पुत्रियाँ हैं या
- निःसन्तान दम्पत्ति।

दत्तक ग्रहण करने वाले सम्भावित माता-पिता के लिए अतिरिक्त पात्रता के मापदण्ड

- एक ऐसे दम्पत्ति को अनुमति तब नहीं दी जा सकती जब तक स्थायी वैवाहिक संबंध के कम से कम 2 वर्ष पूरे न कर लिए हों।
- 0-3 वर्ष के आयु समूह में एक बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता की अधिकतम सम्मिलित आयु 90 वर्ष होनी चाहिए जिसमें दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता में से प्रत्येक की आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो और 50 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दत्तक ग्रहण करने के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता की अधिकतम सम्मिलित आयु 105 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता में से प्रत्येक की आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो और 55 वर्ष से अधिक नहीं हो।

- यदि कोई एक दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता दत्तक ग्रहण का इच्छुक है, तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 0-3 वर्ष के आयु समूह बच्चों के दत्तक ग्रहण करने वाले की अधिकतम आयु 45 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के दत्तक ग्रहण करने वाले की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
- दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता के पास बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए।
- दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई संक्रामक या गंभीर रोग या मानसिक या शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसे बच्चे की देखभाल से रोक सके।
- दूसरे बच्चे के दत्तक ग्रहण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब प्रथम बच्चे के लिए कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया हो परन्तु यह भाई-बहिनों के मामले में लागू नहीं है।
- एक अविवाहित या अकेले पुरुष को बालक के दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है।
- साथ रहने वाले (लिव इन) दम्पत्तियों को बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता नहीं है।

पंजीकरण

- भारत में निवास करने वाले संभावित माता-पिता को केवल सरकारी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से बच्चे का दत्तक ग्रहण हेतु पंजीकरण कराना चाहिए।
- संभावित माता-पिता द्वारा पंजीकरण ऑनलाइन www.adoptionindia.nic.in भी किया जा सकता है।
- यदि संभावित माता-पिता किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं तो वह संबंधित राज्य की राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी से संपर्क का उस राज्य की एजेंसी से दत्तक ग्रहण कर सकते हैं।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण

- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए प्रकरणों का प्रक्रियान्वयन करते समय विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए ताकि संभावित दत्तक ग्रहण करने वाला परिवार इसके प्रति जागरूक हो और वह बच्चे की आवश्यकताओं पर अतिरिक्त देखरेख और ध्यान देने के लिए तैयार हो।
- यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शुरूआती अवस्था पर एक परिवार में किसी अन्य बच्चे से अधिक देखरेख और प्रेम की आवश्यकता होती है।

दत्तक ग्रहण करने वाले सम्भावित माता-पिता का चयन

- राज्य में संभावित माता-पिता के चयन में पारदर्शिता हेतु प्रत्येक जिले में दत्तक ग्रहण समिति कार्यरत है।
- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट आवेदन की तिथि से अधिकतम दो माह के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा जो एजेन्सी के द्वारा अधिकृत है।
- गृह अध्ययन रिपोर्ट में संभावित माता-पिता की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक स्थिति व स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में टिप्पणी दर्ज की जाती है तथा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दत्तक ग्रहण के बारे में उनकी मनोशंका व भ्रांतियों को दूर करने हेतु समझाइश भी करता है।
- अधीक्षक, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी दत्तक ग्रहण हेतु प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों को नियमानुसार गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेजों को समिति के समक्ष विचारार्थ रखेगा। समिति भावी माता-पिता की सभी पात्रता को जांचने एवं आवश्यक मापदण्डों को पूरा करने के उपरान्त भावी माता-पिता के चयन का अनुमोदन करेगी।
- विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता को बच्चे से मिलान कराने एवं मिलान किए गए बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट और

चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर संभावित माता-पिता से रेफरल स्वीकार्यता हेतु 10 दिनों के अन्दर बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर एवं औपचारिक स्वीकार्यता प्राप्त करेगी।

- दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता मिलान किए गए बच्चे को केवल विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के परिसर में दिखाया जाएगा और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता इस बात के इच्छुक हों तो वे अपने स्वयं के मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा बच्चे की चिकित्सा जांच करा सकते हैं।

कानूनी प्रक्रिया

- बच्चे एवं संभावित माता-पिता के सफल मेल-मिलाप पश्चात एजेंसी व संभावित माता-पिता द्वारा 10 दिनों के अंदर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत आवश्यक दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के क्षेत्र अधिकार में दत्तक ग्रहण और संरक्षता के मामलों पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय (सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायालय) में याचिका दायर की जाती है।
- सामान्यतया शिशु का न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त होने में समय लगता है, इस कारण विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा संभावित माता-पिता को शिशु कुछ समय के लिए दत्तक ग्रहण पूर्व पोषक देखरेख (Pre-Adoption Foster Care) में दिया जाता है, ताकि शिशु व माता-पिता आपस में अनुकूल हो जावें, किन्तु संभावित माता-पिता बच्चे को केवल तभी दत्तक ग्रहण पूर्व पोषक देखरेख का शपथ पत्र हस्ताक्षर करने पर बच्चे को ले जा सकते हैं, जब मामले को न्यायालय में दायर किया जाता है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन.के. पाण्डेय बनाम भारतीय संघ के मामले में दिये गये निर्देशानुसार सक्षम न्यायालय को दायर होने की तिथि के अधिकतम 2 माह के अन्दर मामले को निपटान करने की आवश्यकता है। बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकतम संभव रूप से पहली सुनवाई में ही मामले का निपटान किया जा सकता है।
- जब न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण का आदेश जारी किया जाता है, तो इसके बाद बच्चे के नए परिवेश में व्यवस्थित होने तक एजेंसी के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा नियमित अनुवर्ती दौरे और दत्तक ग्रहण बाद के परामर्श उपलब्ध कराए जाते हैं। यह अनुवर्ती कार्य कम से कम एक वर्ष अथवा न्यायालय द्वारा वांछित अवधि के लिए होते हैं।
- दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों द्वारा दत्तक ग्रहण सभी अभिलेखों की गोपनीयता बनायी रखी जायेगी। सभी दस्तावेज केवल न्याय व्यवस्था और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शामिल प्राधिकरणों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

दत्तक ग्रहण/गोद लेने वाले अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत करने वाले कागजात

दत्तक ग्रहण/गोद लेने वाले अभिभावकों के द्वारा भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं-

- गोद लेने वाले माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र
- दम्पत्ति के विवाह का प्रमाण
- रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा दम्पत्ति के अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रमाणपत्र
- दम्पत्ति के हाल में खींचे गए फोटोग्राफ
- परिवार के सदस्यों या मित्रों के पत्र
- पेशा या नौकरी का प्रमाणपत्र
- आय का प्रमाणपत्र
- संपत्ति संबंधी प्रपत्र
- शिक्षा के प्रमाणपत्र
- परिवार में माता-पिता के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में दम्पत्ति से छोटे सदस्य द्वारा गोद लिए बच्चे का दायित्व वहन करने की स्वीकृति
- पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र

नोट: विशेष जानकारी के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (CARA) की मार्गदर्शिका 2011 पढ़ें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान सरकार
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेंजीडेंसी ऐरिया के पीछे
जयपुर (राजस्थान)
www.sje.rajasthan.gov.in